



AWADHESH PRATAP SINGH UNIVERSITY
REWA, MADHYA PRADESH



REGULATION FOR BHASHAN MALAS


अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा ००५००
XX

क्रमांक/प्रशासन/2002/707

रीवा, दिनांक: 5.4.2003


अधि-सूचना
=====

कार्यपरिषद के निर्णय क्रमांक 5 दिनांक 21.3.2003 अनुसार विश्वविद्यालय, में स्व० जगदीश चन्द्र जोशी स्मृति प्रसंग के अन्तर्गत प्रति वर्ष सामाजिक/साहित्यिक/आध्यात्मिक/राजनैतिक व्याख्यान के आयोजन संबंधी स्व. जगदीश चन्द्र जोशी स्मृति प्रसंग विनियम क्रमांक 43 तत्काल प्रभावशील किया जाता है।


डॉ० रामसुमन पाण्डेय
कुलसचिव 2/4/2003

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित:-
=====

- ११ सप्रस्त प्रशासकीय एवं शैक्षणिक विभागध्यक्ष।
- २१ श्रीयुक्त श्री निवास तिवारी अध्यक्ष ००५० विधान सभा।
- ३१ वित्ताधिकारी, ००५० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा ००५००
- ४१ कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।


हजारी लाल लोहरा
सहायक कुलसचिव प्रशासन

स्व० जगदीश चन्द्र जोशी स्मृति प्रसंग

दानदाता - श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी, अमहिया रीवा
दान राशि - रुपये 1,00,000.00 {एक लाख}

श्री जगदीश चन्द्र जोशी रीवा के उन स्वनाम धन्य महापुरुषों में प्रमुख रहे हैं जिन्होंने समाज को अपने चिंतन से सुधारने एवं संवारने का काम किया था। वे राज्य सभा के सदस्य के साथ ही साथ प्रतिष्ठित पत्रकार एवं साहित्यकार भी थे। उनके लेख स्वतंत्र भारत की सामाजिक राजनैतिक स्थितियों में योगदान करते रहे हैं।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, योजना मूल्यांकन परिषद के वे सदस्य रहे हैं।

साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन

- §1§ प्राप्त दान राशि एक लाख रुपये सावधि खाते में रखी जायेगी।
- §2§ इस दान धनराशि के ब्याज से प्रतिवर्ष स्व. जोशी जी के जन्म माह सितम्बर अथवा पुण्यतिथि माह दिसम्बर में या वर्ष में कभी एक बार विश्वविद्यालय सभागार में प्रतिवर्ष एक महत्वपूर्ण विद्वान का व्याख्यान आयोजित किया जा सकेगा। कार्यक्रम का नाम "स्व. जगदीश चन्द्र जोशी स्मृति प्रसंग" होगा।
- §3§ विद्वानों की सूची तैयार करने हेतु कुलपति द्वारा प्रतिवर्ष एक समिति का गठन किया जायेगा जो साहित्य एवं राजनीति से संबंधित विशेषज्ञ विद्वानों की नामिका प्रस्तुत करेगी।

कुलपति द्वारा इनमें से किसी एक विद्वान को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जायेगा। किसी कारणवश यदि समिति निर्धारित समय में नामिका न दे सके तो कुलपति द्वारा विशिष्ट वक्ता को आमंत्रित किया जा सकेगा।

§4§ आमंत्रित अतिथि को यात्रा व्यय पूर्ति के अतिरिक्त 500/- की मानदेय राशि दी जायेगी। आवश्यकतानुसार कुलपति द्वारा मानदेय राशि में परिवर्तन किया जा सकेगा।

§5§ इस दानराशि के ब्याज से सामाजिक साहित्यिक/अध्यात्मिक/राजनीतिक विषयों पर विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया जा सकता है।

§डॉ० रामसुभन पाण्डेय

कुलसचिव

विषय :-

टिप्पणियां तथा आज्ञाएं

विभाग का नाम - लि. नं. १५

विनियमन क्रमांक-14

113
128
131
141
151
154

शाल बलदेव सिंह स्वर्ण-पदक

"कर्नल बलवन्त सिंह स्वर्णपदक"

"गणेश प्रताप सिंह पुरस्कार"

"लक्ष्मी पुरस्कार"

"चंद्रिका पुरस्कार"

"साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन"

1) 4/1/1951 से 31/12/1951 तक का वर्ष का प्रथम पदक विजेता को प्रथम स्थान पर प्रथम पदक देना।
2) कि सुविधा के व्याख्यायण आयोजन

दान-दाता

श्रीमती विष्णु कुमारी पत्नी स्व. कर्नल लाल बलवन्त सिंह, प्रगोदाश्रम, किला, उपरहटी, रोवा ।

दान-राशि-रुपये 1, 20, 000/-

1. यह इन्डाउमेंट लाल बलदेव सिंह स्वर्ण-पदक उद्घाटन और स्वर्ण-पदक के एक ओर यह अंकित होगा। यह स्वर्ण पदक एम.ए. फाइनल, हिन्दी में सर्वप्रथम आने वाले छात्र को प्रोत्त वर्ष दिया जायेगा ।
2. यह दान इन्डाउमेंट कर्नल बलवन्त सिंह स्वर्णपदक उद्घाटन और स्वर्णपदक के एक ओर यह अंकित रहेगा। एम.ए. फाइनल भूगोल परीक्षा में सर्वप्रथम आने वाले छात्र को प्रोत्त वर्ष दिया जायेगा ।
3. गणेश प्रताप सिंह पुरस्कार- प्रोत्त वर्ष रुपये 201/- नकद या किसी अन्य रूप में आलराउन्डर एथलीट & सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को प्रशस्ति पत्र के साथ दिया जायेगा ।
4. लक्ष्मी पुरस्कार- यह पुरस्कार रू 201/- नकद या किसी अन्य रूप में एम.ए. के सभी विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को प्रशस्ति-पत्र के साथ दिया जायेगा ।
5. चंद्रिका पुरस्कार- यह पुरस्कार रुपये 201/- नकद या किसी अन्य रूप में बी.ए. परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को प्रदान किया जायेगा ।

टिप्पणी :- 1. उपर्युक्त क्रमांक 1 से 5 तक के स्वर्ण-पदक एवं पुरस्कार पृथक-पृथक के लिए 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा पात्रता रखने पर कनिष्ठतर या कनिष्ठतमको प्रदान किया जायेगा।

"साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन"

1. इस दान से प्रोत्त वर्ष वसंतपत्रिका के दिन दान-दात्री के -

विनियम क्रमांक 54

स्वर्गीय श्री यमुना प्रसाद शास्त्री व्याख्यानमाला

दानदाता : प्राचार्य, यमुना प्रसाद शास्त्री महाविद्यालय, सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)

दान राशि : रुपये 3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र)

1. यह विनियम "स्वर्गीय श्री यमुना प्रसाद शास्त्री व्याख्यानमाला कहलाएगा।
2. यह व्याख्यानमाला दानदाता समिति (लोक शिक्षण संस्थान समिति, सिरमौर, रीवा) द्वारा विश्वविद्यालय कोष में जमा करायी गयी स्थायी राशि के अर्जित ब्याज राशि से करायी जाएगी।
3. इस भाषणमाला हेतु विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का व्यय वहन नहीं किया जाएगा।
4. यह व्याख्यानमाला प्रतिवर्ष 20 जून को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी। आवश्यक होने पर दानदाता समिति के परामर्श से विश्वविद्यालय आयोजन तिथि में परिवर्तन कर सकेगा, किन्तु यह परिवर्तन विशेष परिस्थितियों में ही होगा।
5. इस व्याख्यानमाला के आयोजन के अवसर पर दानदाता समिति के पदाधिकारियों अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
6. यह व्याख्यानमाला अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होगी। विशेष परिस्थिति में इसका आयोजन लोक शिक्षण संस्थान समिति के परामर्श से अन्यत्र भी किया जा सकेगा। परन्तु ऐसी परिस्थिति में होने वाले अतिरिक्त व्यय का वहन समिति द्वारा किया जाएगा।
7. व्याख्यानमाला में व्याख्यान का विषय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक विषय से सम्बन्धित होगा। राजनैतिक दलों, धर्मों एवं वर्गों से विषय को पृथक् रखा जाएगा।
8. व्याख्यानमाला में स्व. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला जाएगा।
9. व्याख्यानमाला में दानदाता समिति के परामर्श से राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का वक्ता आमंत्रित किया जा सकेगा। व्याख्यान की भाषा हिन्दी, संस्कृत, बघेली अथवा अंग्रेजी कोई भी हो सकेगी। व्याख्यान के पूर्व आमंत्रित विद्वान के नाम का अनुमोदन अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के कुलपति से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
10. विश्वविद्यालय द्वारा व्याख्यानों को संपादित कर प्रकाशित भी किया जा सकेगा, जिसके लिए दानदाता समिति पृथक से सहयोग राशि प्रदान कर सकेगी।

Rishi
14.03.23

14.03.23

30/03/23
14/3/23

विनियम क्रमांक - 14

1. लाल बल्देव सिंह स्वर्ण पदक
2. कर्नल बलवन्त सिंह स्वर्ण पदक
3. गणेश प्रताप सिंह पुरस्कार
4. लक्ष्मी पुरस्कार
5. चन्द्रिका पुरस्कार
6. साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

दानदाता- श्रीमती विष्णु कुमारी पत्नी स्व० कर्नल लाल बलवन्त सिंह, प्रमोदाश्रम ;किलाद्ध,
उपरहटी रीवा।

दानराशि- रुपये 1,20,000/-

1. यह इन्डाउमेण्ट लाल बल्देव सिंह स्वर्ण पदक कहलायेगा और स्वर्ण पदक के एक ओर यह अंकित होगा। यह स्वर्ण पदक एम.ए. पफाईनल, हिन्दी में सर्वप्रथम आने वाले छात्र को प्रति वर्ष दिया जायेगा।
2. यह दान ;इनडाउमेण्टद्ध कर्नल बलवन्त सिंह स्वर्ण पदक कहलायेगा और स्वर्ण पदक के एक ओर यह अंकित रहेगा ;एम०ए० फाइनलद्ध भूगोल परीक्षा में सर्वप्रथम आने वाले छात्र को प्रति वर्ष दिया जायेगा।
3. गणेश प्रताप सिंह पुरस्कार- प्रति वर्ष 201/- नकद या किसी अन्य रूपमें आलराउण्डर एथलीट ;सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ीद्ध को प्रशस्ति पत्र के साथ दिया जायेगा।

4. लक्ष्मी पुरस्कार - यह पुरस्कार 201/- नकद या किसी अन्य रूपमें एम0ए0 के सभी विषयों में सर्वाधिक अंकित करने वाली छात्रा को प्रशस्ति पत्र के साथ दिया जाय।

5. चन्द्रिका पुरस्कार- यह पुरस्कार रूपये 201/- नकद या किसी अन्य रूपमें बी0ए0 परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को प्रदान किया जायेगा।

टिप्पणी- उपर्युक्त क्रमांक 1 से 5 तक के स्वर्ण पदक एवं पुरस्कार पृथक पृथक के लिये 2 या 2 से अधिक छात्रों व्दारा पात्रता रखने पर कनिष्ठतर या कनिष्ठतम् को प्रदान किया जायेगा।

6. साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन -

1- इस दान से प्रति वर्ष बसंत पंचमी के दिन दान दात्री के स्वसुर स्व0 लाल बल्देव सिंह के जन्म दिवस पर बाल समिति उपरहटी, रीवा में कवि सम्मेलन, साहित्यिक गोष्ठी, शिवपूजन कार्यक्रमों को आयोजित कर मनाया जायेगा।

2- इस दान से प्रति वर्ष फाल्गुन शुक्ल 3 को दान दात्री के पति स्व0 कर्नल बलवन्त सिंह के जन्म दिवस पर प्रति वर्ष उनके प्रिय विषय बिहन्दी साहित्य, योग, ज्योतिष तन्त्र, भूगोल, रामचरित मानस, गीता आदि विषयों में से किसी एक पर गोष्ठी या वार्ता का आयोजन विश्वविद्यालय, बाल समिति या छतुरी पर आयोजित किया जायेगा।

टिप्पणी- यह आयोजन दान राशि के मूलधन के ब्याज से किया जायेगा। यदि ब्याज से इन आयोजनों के पश्चात् प्रति वर्ष कोई राशि शेष बचती है तो निर्धन विद्यार्थियों के सहायतार्थ व्यय की जायेगी।